न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉआर.ए.एस.)

वाद संख्याः–63 /2022 दर्ज तिथिः–16.04.2021

GCMS N. -2021/145

1. श्री अशोक कुमार टेलर पिता स्व० श्री बंशीलाल जी जाति टेलर दर्जी उम्र 60 वर्ष निवासी सोहनघाटी, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

................वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता स्व० श्री बंशीलाल जी जाति टेलर दर्जी उम्र 60 वर्ष निवासी सोहनघाटी, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.
2. मु० गोपीबाई बेवा स्व० श्री बंशीलाल जी जाति टेलर दर्जी उम्र 81 साल निवासी सोहनघाटी, निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.
3. मु० यशोदाबाई पुत्री स्व० चौथमल जी पत्नी भूरालाल जी जाति गोठवाल दर्जी उम्र 80 साल निवासी बी. 27, अल्कापुरी, रतलाम जिला रतलाम म०प्र०
4. मु0 कंचनबाई पुत्री स्व० चौथमल जी पत्नी मूलचन्द जी जाति दर्जी टेलर उम्र 82 वर्ष निवासी राजेश गैस सर्विस, मयूर कॉलोनी, गुलाबपुरा तह० गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
5. राधाकृष्ण पिता स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 60 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
6. गोपाल कृष्ण पिता स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 58 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा
7. मुकेश पिता स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 56 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
8. महेश पिता स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 45 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
9. मु०कृष्णा पुत्री स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 65 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
10. मु०मुन्नीदेवी पुत्री स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 62 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा
11. मु०सविता पुत्री स्व० श्री रामेश्वरलाल जी जाति दर्जी आयु 55 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
12. मु०रेखा पत्नी स्व0 मनमोहन जी जाति दर्जी आयु [illegible] साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
13. आशुतोष पिता स्व० मनमोहन जी जाति दर्जी आयु 23 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.
14. कृतिका पुत्री स्व० मनमोहन जी जाति दर्जी आयु 19 साल निवासी 12/355, आजाद नगर, अग्रसेन मांगलीक भवन के पास, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:08:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

अशोक बनाम ओमप्रकाश

63/2021

निर्णय दिनांक : 12.06.2023

15. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज.
16. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेडा राज.

................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ताः—श्री मदनलाल चपलोत
प्रतिवादीगण अधिवक्ता—श्री अनुज कुमार बापना

वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,188,209
राजस्थान राज.काश्तकारी अधिनियम—1955

—: घोषणा :—

निर्णय तिथिः—12.06.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077—2080 के वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा में वर्तमान खाता संख्या 210 की आराजी नम्बर 962 रकबा 0.3400 हैक्टेयर लगानी 6.46 रूपये, आराजी नम्बर 963 रकबा 0.5400 हैक्टेयर लगानी 10.26 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर कुल लगानी 16 रूपये 72 पैसे स्थित हैं।

2. यहकि उपरोक्त वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जो मूल पुरूष चौथमल पिता गिरधारी जी दर्जी निवासी निम्बाहेडा की खातेदारी की हैं, चौथमल जी का स्वर्गवास दिनांक 01.06.1982 को हो चुका है, जिनका सजरा इस प्रकार हैं—

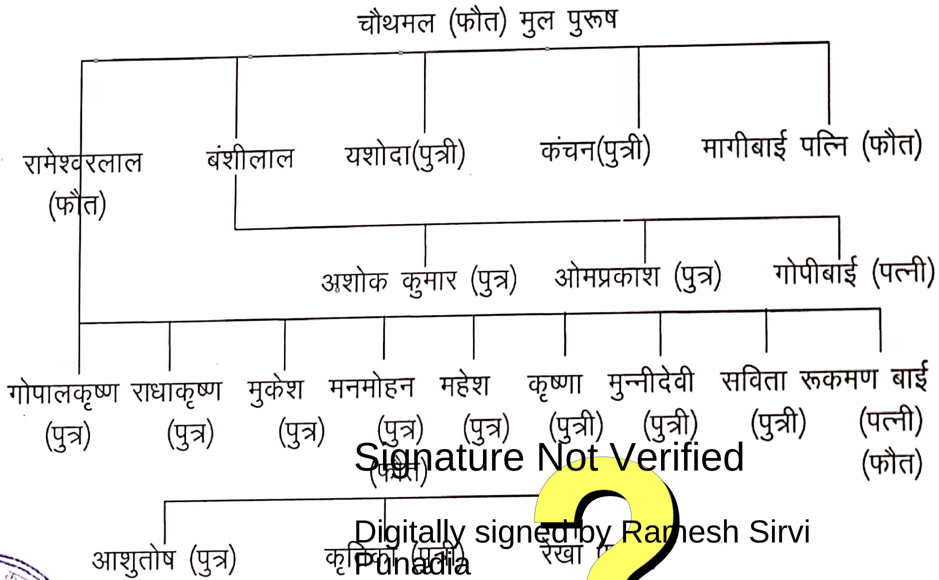

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:40 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्त सजरा अनुसार चौथमल जी के वारिसान रामेश्वरलाल, बंशीलाल, यशोदा व कंचन हैं, जिनका प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा निहित हुआ, रामेश्वरलाल फौत हो चुका है,

सहायक कलेक्टर निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

जिसके वारिसान प्रतिवादी राधाकृष्ण, गोपाल कृष्ण, मुकेश, मनमोहन, महेश, कृष्णा, मुन्नीदेवी, सविता हुए जिनका 1/4 हिस्सा हुआ, जिसमें से मनमोहन फौत हो चुका है, जिसके वारिस रेखा, आशुतोष व कृतिका है। इसी प्रकार से बंशीलाल फौत हो चुके है, जिनके वारिस वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी ओमप्रकाश व गोपीबाई है, जिनका 1/4 हिस्सा एवं यशोदा का 1/4 हिस्सा व कंचन का 1/4 हिस्सा निहित हुआ है, जिसकी खातेदारी घोषणा की जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। यहकि उपरोक्त वर्णित आराजियात पर वादी एवं प्रतिवादीगण चौथमल जी के जीवनकाल से ही शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु राजस्व रेकार्ड में अभी तक नाम चौथमल जी का ही दर्ज चल रहा है, इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजियात में अपना नाम दर्ज कराने हेतू व खातेदारी घोषणा कराने हेतू कहा तो प्रतिवादीगण टालचाल कर रहे है और वादी का हिस्सा मानने से इंकार कर रहे है और वादी के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ओर आराजियात को जबरन जरिये रहन, बय, बक्षीश व अन्य तोर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर आमादा हो रहे हैं, और वादी को उसके हक से वंचित करने पर आमादा हैं, इसलिये वादी को यह दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतू पेश करना पड रहा हैं। वाद पत्र में वर्णित आजियात वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात होकर चौथमल पिता गिरधारी लाल जी के समय की है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से लगायत 14 का संयुक्त 1/4 हिस्सा घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार खाते में नाम अमल दरामद कराने का निवेदन किया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 14 की और से इकबाली जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी न. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13 व 14 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र जवाबदावा प्रतिवादीगण निहित हक हिस्से तक को शेष प्रतिवादीगणो में पीढ़ी अनुसार बराबर–बराबर हिस्सा तय कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी न. 3 व 4 चौथमल के पुत्रिया कंचन, यशोदा ने अपना हिस्सा 1/4 –1/4 अपने स्व. भाईयो रामेश्वर लाल व वंशीलाल के वारिसानो में पीढी अनुसार बराबर–बराबर हिस्सा तय कराने का निवेदन किया। प्रतिवादी न. 9, 10 व 11 चौथमल के पुत्र स्व. रामेश्वर लाल की पुत्रीया कृष्णा, मुन्नीदेवी, सविता ने भाई क्रमशः राधाकृष्ण, गोपालकृष्ण, मुकेश, महेश और स्व. मनमोहन के वारिसानो में बराबर–बराबर हिस्सा तय कराने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादी द्वारा हक त्याग का स्टाम्प शुल्क नियमानुसार जमा कराया जाकर –ईस्टाम्प शामिल पत्रावली किया गया।

5. मैंने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा में वर्तमान खाता संख्या 210 की आराजी नम्बर 962 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 963 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर स्थित हैं। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा प्रस्तुत सजरा रिपोर्ट का अवलोकन किया सजरा रिपार्ट चौथमल पिता गिरधारीलाल जाति दर्जी की [illegible] सजरा पेश किया जिस अनुसार चौथमल के वारिसान के हक हिस्सा [illegible] जाना उचित प्रतीत होता है। वंशीलाल के वारिसान–अशोक [illegible] पिता बंशीलाल 1/6, गोपीबाई पत्नी बंशीलाल [illegible] इसी प्रकार रा[illegible]लाल के वारिसान– गोपालकृष्ण पिता रामेश्वरलाल 1/10, रा[illegible] 1/10, मुकेश पिता रामेश्वरलाल 1/10, महेश पिता रामेश्वरलाल 1/10, इसी प्र[illegible] मनमोहन के वारिसान – आशुतोष पिता मनमोहन 1/30, कृतिका पिता मनमोहन 1/30, रेखा पत्नि मनमोहन 1/30 के नाम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अशोक बनाम ओमप्रकाश
63/2021
निर्णय दिनांक : 12.06.2023

घोषणा है कि

1. वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा में वर्तमान खाता संख्या 210 की आराजी नम्बर 962 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 963 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर स्थित हैं। बंशीलाल के वारिसान–अशोक कुमार पिता बंशीलाल 1/6, ओमप्रकाश पिता बंशीलाल 1/6, गोपीबाई पत्नी बंशीलाल 1/6 इसी प्रकार रामेश्वरलाल के वारिसान– गोपालकृष्ण पिता रामेश्वरलाल 1/10, राधाकृष्ण पिता रामेश्वरलाल 1/10, मुकेश पिता रामेश्वरलाल 1/10, महेश पिता रामेश्वरलाल 1/10, इसी प्रकार मनमोहन के वारिसान – आशुतोष पिता मनमोहन 1/30, कृतिका पिता मनमोहन 1/30, रेखा पत्नि मनमोहन 1/30 के नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर ... जिला ...

12/6/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाआर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner